[1][धारा 110 : अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हता, नियुक्ति सेवा की शर्तें आदि

---

1 वित अधिनियम, 2023 द्वारा धारा 110 प्रतिस्थपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। प्रतिस्थपन से पूर्व यह इस प्रकार था :

"धारा 110 : अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हता, नियुक्ति सेवा की शर्तें आदि

(1) कोई व्यक्ति,–

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए तब अर्हित होगा जब वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो या रहा हो या कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीन हो या रहा हो;

(ख) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए तब अर्हित होगा जब वह,–

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो; या

(ii) ऐसा जिला न्यायाधीश हो या रहा हो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है; या

(iii) भारतीय विधि सेवा का सदस्य हो रहा हो और उसने अपर सचिव का पद कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए धारण किया हो;

(ग) तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) के रूप में नियुक्त होने के लिए तब अर्हित होगा जब वह भारतीय राजस्व (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क) सेवा समूह 'क' का सदस्य हो या रहा हो और उसने समूह 'क' में कम से कम पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

(घ) तकनीकी सदस्य (राज्य) के रूप में नियुक्त होने के लिए तब अर्हित होगा जब वह राज्य सरकार का मूल्य वर्धित कर या राज्य माल और सेवा कर के कम से कम अपर आयुक्त की रैंक का हो या रहा हो या ऐसी रैक का हो या रहा हो जो परिषद् की सिफारिशों पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए और उसके पास किसी विद्यमान विधि या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या वित्त और कराधान के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।

(2) राष्ट्रीय न्यायपीठ और प्रादेशिक न्यायपीठों के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके नामनिर्देशिती से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाएंगे :

परन्तु अध्यक्ष के पद में उसकी मृत्यू, त्यागपत्र या अन्यथा किसी कारण से कोई रिक्ति होने की दशा में राष्ट्रीय पीठ का ज्येष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में नए अध्यक्ष की नियुक्ति न कर दी जाए और वह कार्यभार ग्रहण न कर ले :

परन्तु यह और कि जहां अध्यक्ष, अनुस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, वहां राष्ट्रीय पीठ का ज्येष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन तब तक करेगा, जब तक अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण नहीं कर लेता है।

(3) सरकार, राष्ट्रीय न्यायपीठ और प्रादेशिक न्यायपीठो के तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) और तकनीकी सदस्य (राज्य) की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, करेगी।

(4) राज्य सरकार राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के न्यायिक सदस्य की नियुक्ति उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश या उसके नामनिर्देशिती के साथ परामर्श के पश्चात् करेगी।

(5) राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के तकनीकी सदस्य (राज्य) राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में नियुक्त किए जाएंगे जो विहित की जाए।

(6) अपील अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति केवल चयन समिति में किसी रिक्ति या इसके गठन में त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

(7) किसी व्यक्ति की अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति से पहले, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिसके कारण अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(8) अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं :

परन्तु अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या सदस्यों के न तो वेतन और भत्तों और न ही सेवा की अन्य शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन किए जाएंगे।

(9) अपील अधिकरण का अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी हो, पद धारण करेगा और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(10) अपील अधिकरण का न्यायिक सदस्य और राजय अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे और वे पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।

(11) अपील अधिकरण का तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) या तकनीकी सदस्य (राज्य) अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

(12) अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या कोई सदस्य, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संबोधित अपनी हस्ताक्षरयुक्त लिखित सूचना द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या कोई सदस्य, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि का अवसान होने तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण करने तक या अपनी पदावधि के अवसान तक, जो भी पूर्वत्तम हो, पद धारण करता रहेगा।

(13) राष्ट्रीय न्यायपीठ, प्रादेशिक न्यायपीठों के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों या राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के तकनीकी सदस्यों (केन्द्रीय) की दशा में केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् और राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के राज्य अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य (राज्य) की दशा में राज्य सरकार के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकेगी,–

(क) जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें ऐसी सरकार के मत में नैतिक अध्मता अंतर्वलित है; या

(ग) जो ऐसे अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कृत्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए है, जिससे ऐसे अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभावों के पड़ने की संभावना है;

(ड.) जिसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

परन्तु अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या सदस्य को, खंड (घ) और खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना न दे दी गई हो और उसे सुने जाने का अवसर न दिया गया हो।

(1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित की नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं होगा,–

(क) अध्यक्ष के लिए, जब तक कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो;

(ख) न्यायिक सदस्य के लिए, जब तक कि वह–

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो; या

(ii) दस वर्ष की संयुक्त अवधी के लिए जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न रहा हो;

[2][**(iii)** अपील अधिकरण, सीमाशुल्क, कें‍न्द्रीय उत्पाद–शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण, राज्य मूल्यवर्धित कर अधिकरण, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में मुकदमेबाजी में सारवान् अनुभव के साथ दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो;]

(ग) एक तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय), जब तक वह केन्द्रीय सरकार में विद्यमान विधि या माल और सेवा कर के प्रशासन में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ भारतीय राजस्व (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क) सेवा, समूह क या अखिल

---

(14) उपधारा (13) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना–

(क) राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रादेशिक न्यायपीठों के अध्यक्ष या न्यायिक और तकनीकी सदस्य, राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) को, केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को किए गए प्रतिनिर्देश पर उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा जांच के पश्चात्, दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध होने के आधार पर जिसके संबंध में अध्यक्ष या उक्त सदस्य को सुने जाने का अवसर दिया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जाएगा;

(ख) राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य (राज्य) को राज्य सरकार द्वारा संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को किए गए प्रतिनिर्देश पर उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा जांच के पश्चात् जिसके संबंध में अध्यक्ष या उक्त सदस्य को सुने जाने का अवसर दिया गया हो दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध होने के आधार पर अध्यक्ष या उक्त आदेश द्वारा जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जाएगा।

(15) केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रादेशिक न्यायपीठों के अध्यक्ष या किसी ऐसे न्यायिक या तकनीकी सदस्य या राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) के संबंध में जिसके लिए उपधारा (14) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिनिर्देश कियाा गया है, पद से निलंबित कर सकेगी।

(16) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के किसी ऐसे न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य जिसके संबंध में उपधारा (14) के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिनिर्देश किया गया है, पद से निलंबित कर सकेगी।

(17) संविधान के अनुच्छेद 220 के उपबंधों के अध्यधीन, अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या अन्य सदस्य, उनके द्वारा पद धारण करना छोड़ने पर राष्ट्रीय न्यायपीठ और प्रादेशिक न्यायपीठों या राज्य न्यायपीठ और उनकी क्षेत्रीय न्यायपीठों, जहां वह, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य था, के समक्ष उपस्थित होने, कार्य या अभिवाक् करने के लिए पात्र नहीं होगा।"

2 सीजीएसटी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का क्रमांक 48) द्वारा खंड (iii) अंतः स्थापित।

भारतिय सेवा का सदस्य नहीं हो या नहीं रहा हो और उसने समूह क में कम से कम पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो;

(घ) एक तकनीकी सदस्य (राज्य), जब तक वह मूल्य संवर्धित कर या राज्य माल और सेवा कर के अतिरिक्त आयुक्त या ऐसी पंक्ति, जो प्रथम अपील प्राधिकारी, जैसा संबंध राज्य सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए, से अन्यून पंक्ति का राज्य सरकार का अधिकारी या अखिल भारतिय सेवा का अधिकारी नहीं है या नहीं रहा है और उसने विधिमान विधि या माल और सेवा कर अथवा राज्य सरकार में वित्त और कराधान के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ समूह क या समतुल्य सेवा में पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो;

परंतु राज्य सरकार, परिषद की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा समूह क या समतुल्य सेवा में पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने की अपेक्षा, ऐसे राज्य, जहां किसी व्यक्ति नें समूह क या समतुल्य में पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो, परंतु उसने सरकार में पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, के अधिकारियों की बाबत् ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी अवधि तक, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, शिथिल कर सकेगी।

(2) अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य, (केन्द्रीय) और तकनीकी सदस्य (राज्य) सरकार द्वारा उपधारा (4) के अधीन गठित खोज–सह–चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त या पुनः नियुक्त किए जाएंगे :

परंतु अध्यक्ष के पद पर, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा कारण से हुई किसी रिक्त की दशा में, प्रधान पीठ का न्यायिक सदस्य या उसकी अनुपस्थिति में, ज्येष्ठतम तकनीकी सदस्य, अध्यक्ष के पद पर उस तारीख तक कार्य करेगा, जिस तारीख तक, ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त, कोइ नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है :

परंतु यह और कि जहा अध्यक्ष, अनुपस्थिति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनें कृत्यों का निर्वहन करनें में असमर्थ है, वहां प्रधान पीठ का न्यायिक सदस्य या उसकी अनुपस्थिति में, ज्येष्ठतम तकनीकी सदस्य, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा, जिस तारीख तक, अध्यक्ष अपने कृत्यों को ग्रहण कर लेता है।

(3) राज्य न्यायपीठ के तकनीकी सदस्य, (राज्य) का चयन करते समय, ऐसे अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने उस राज्य की राज्य सरकार में कार्य किया है, जिस पर न्यायपीठ की अधिकारिता का विस्तार है।

(4) **(क)** राज्य न्यायपीठ के लिए तकनीकी सदस्य, (राज्य) के लिए खोज–सह–चयन समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थातः–

(i) उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति, जिसकी अधिकारिता में राज्य न्यायपीठ अवस्थित है, समिति का अध्यक्ष होगा।

(ii) उस राज्य का ज्येष्ठतम न्यायिक सदस्य और जहां कोई न्यायिक सदस्य उपलब्ध नहीं है, वहां उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश जिसकी

अधिकारिता में राज्य न्यायपीठ अवस्थित है, जिसे उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए :

(iii) उस राज्य का मुख्य सचिव, जिसकी अधिकारिता में राज्य न्यायपीठ अवस्थित है,

(iv) उस राज्य जिसकी अधिकारिता में राज्य न्यायपीठ अवस्थित है, का एक अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, जो राज्य कर के प्रशासन के लिये उत्तरदायित्व विभाग का भारसाधक नहीं है जिसे ऐसी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए : और

(v) उस राज्य जिसकी अधिकारिता में राज्य न्यायपीठ अवस्थित है, के राज्य कर के प्रशासन के लिये उत्तरदायित्व विभाग का अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, जिसे ऐसी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए : और

(ख) अन्य सभी मामलों के लिए खोज–सह–चयन समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थातः–

(i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, समिति का अध्यक्ष होगा :

(ii) मंत्रिमंड़ल सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट केंन्द्रीय सरकार का सचिव–सदस्य :

(iii) परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला राज्य का मुख्य सचिव–सदस्य :

(iv) एक सदस्य, जो ,–

(अ) अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में, अधिकरण का पद छोड़ने वाला अध्यक्ष होगा : या

(आ) अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में, अधिकरण का पीठासीन अध्यक्ष : या

(इ) पुनर्नियुक्ति चाहने वाले अध्यक्ष की दशा में या जहां पद छोड़ने वाला अध्यक्ष अनुपलब्ध है या जहां अध्यक्ष के हटाए जाने पर विचार किया जा रहा है, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश या भारत का मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायमूर्ति होगा : और

(v) केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का सचिव–सदस्य सचिव।

(5) अध्यक्ष को मतदान करने का अधिकार होगा और सदस्य सचिव को मताधिकार नहीं होगा।

(6) किसी न्यायालय किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समिति, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिये दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी।

(7) अपील अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं हो जाएगी कि खोज–सह–चयन समिति में कोई रिक्ति है या उनके गठन में कोई त्रुटि है।

(8) किसी न्यायालय किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यो का वेतन ऐसा होगा, जो विहित किया जाए और उनके भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय सरकार के समान वेतनधारी अधिकारियों को लागू होती है :

परंतु अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात न तो उनके वेतन और भत्तों में और न ही अन्य निबंधनो और शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि अध्यक्ष या सदस्य कोइ घर किराए पर लेता है, उसे ऐसी सीमाओं और शर्तों, जो विहित की जाए, के अध्यधीन रहते हुए, समान वेतनधारी पदों को धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को अनुज्ञेय मकान किराया भत्ते से अधिक मकान किराया की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

(9) किसी न्यायालय किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अपील अधिकरण का कोई अध्यक्ष, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि के लिए या सडसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हों, पद धारण करेगा और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(10) किसी न्यायालय किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अपील अधिकरण का कोई न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य, (केन्द्रीय) या तकनीकी सदस्य, (राज्य), उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है चार वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो भी पहले हों, पद धारण करेगा और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(11) अध्यक्ष या कोइ सदस्य, सरकार को संबाध्ति करते हुए, लिखित सूचना द्वारा, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा :

परंतु अध्यक्ष या सदस्य, सरकार द्वारा ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान तक या उसके उत्तराधिकारी के रुप में सम्यक् रुप से नियुक्त व्यक्ति के पद धारण करने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(12) सरकार खोज–सह–चयन समिति की सिफारिशें पर, अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी, जो,–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(ग) जो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रुप में कार्य करने की शारीरिक रुप से या मानसिक रुप से शैथिल्य हो गया है ; या

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिससे उसके ऐसे अध्यक्ष या

सदस्य के रुप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ड.) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है :

परंतु जहां किसी अध्यक्ष या सदस्य को, खंड (घ) और खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी आाधार पर तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसके विरूध्द लगाए गए आरोपों से संसूचित नहीं कर दिया गया हो और सुनवाई का अवसर ना दे दिया गया हो।

(13) सरकार, खोज–सह–चयन समिति की सिफारिशों पर, अध्यक्ष या किसी न्यायिक या तकनीकी सदस्य को, जिसक संबंध में उपधारा (12) के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गई है उसके पद से विलंबित कर सकेगी।

(14) संविधान के अनुच्छेद 220 के उपबंधो के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, उसके पद पर नहीं बने रहने पर, प्रधान न्यायपीठ या राज्य न्यायपीठ, जिसमें वह यथा यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य था, के समक्ष उपस्थित होने, कार्य करने या अभिवचन करनें का पात्र नहीं होगा।]